न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 205/20 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2020/00205)

1. मानसिंह
2. भूपसिंह

पिसरान मवासी जाति जाटव निवासी बाघई तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विधालय बाघई।
2. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 9.9.2002 व सिलसिले एलोटमेन्ट केन्सिल किये जाने।

उपस्थितिः–

1. श्री जीतेन्द्र कर्दम वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

निर्णय

दिनांकः– 20.06.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 9.9.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार भरतपुर के प्रस्ताव अनुसार ग्राम बाघई पंचायत जाटौली रथभान तहसील भरतपुर की आराजी 419/0.16 है0 भूमि किस्म चाही दोयम राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाघई पंचायत जाटौली रथभान के कीडा स्थल हेतु तहसील भरतपुर आवंटित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह कहते हुये कि आवंटित भूमि उसके कब्जेकाश्त की भूमि है इसलिऐ इस अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.9.2002 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2002 को विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 419/0.16 है0 वाकै ग्राम बाघई तहसील भरतपुर में स्थित है इस आराजी पर

20.6.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कब्जा अपीलान्टान का सम्वत 2012 से ताहाल तक चला आ रहा है। आराजी खसरा नम्बर 419/0.16 साविक खसरा नम्बर 327 नम्बर से बना है। इस खसरा नम्बर पर अपीलान्ट का कब्जाकाशत वर्षों से चला आ रहा है। इस संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध कई बार राज0 भू–राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। तथा नियमन की सिफारिश भी तहसीलदार द्वारा की जा चुकी है। इसके बाबजूद जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया है। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट जिनका मौके पर कब्जा है, को न तो सुनवाई का मौका दिया और न ही मौके की जांच ही करवाई गई। वरन् एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त आवंटन आदेश पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित खसरा नम्बर 419 आस पास में कोई स्कूल भी नहीं है जो कि स्कूल के काम आ सके। इस आवंटन आदेश के आधार पर आज तक स्कूल का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। जहां स्कूल बना हआ है उसके सामने ही काफी बडा मैदान स्कूल के कब्जे में है और उसी में स्कूल का खेल मैदान बना हुआ है। उक्त जमीन आज तक अपीलान्ट के कब्जे में है और मौके पर गेंहू खडे हुये है। दिनांक 6.9.2006 को प्रधानाध्यापक द्वारा यह बताये जाने पर कि विवादित भूमि का विद्यालय के लिये आवंटन हो चुका है। इस आधार पर अपीलान्ट को भूमि को खाली करने हेतु कहा गया। इस पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को हुई। जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अपील को पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश किया गया है।इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे। चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो सुना गया और न ही कोई नोटिस जारी किया गया तथा पक्षकार भी नहीं बनाया गया। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है। इसलिए अपीलाधीन आवंटन आदेश से प्रभावित होने के कारण अपीलान्ट अपील पेश करने का अधिकारी है। इसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति हेतु सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि अपीलाधीन आदेश तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत है, इसलिए निरस्तनीय है। अपीलान्टान अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और अपीलान्ट्स भूमिहीन है और आराजी मुतनाजा पर पुराना कब्जा है इसलिऐ पुराने कब्जे के आधार पर अपने हक में नियमन करा पाने के अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.09.2002 को निरस्त किये जाने तथा पुराने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि को अपीलान्ट के हक में नियमन किये जाने के आदेश दिये जाने की इस्तदुआ की गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए राजकीय पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2002 को रिकार्ड व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथ्यों पर आधारित है जो कि विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाकर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड की विधिवत जांच करने के बाद, पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट लेने व कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/12/2 (148) 2002/ 187 दिनांक 9.9.2002 पारित किया है। विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार भरतपुर के प्रस्ताव अनुसार ग्राम बाघई पंचायत जाटौली रथभान तहसील भरतपुर की आराजी 419/0.16 है0 भूमि किस्म चाही दोयम राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाघई पंचायत जाटौली रथभान के क्रीडा स्थल हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत जाटौली रतभान पंचायत समिति सेवर द्वारा दिनांक 22.6.2002 की बैठक प्रस्ताव संख्या 4 में वकायदा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि "ग्राम पचांयत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बाघई में खसरा नम्बर 419 रकबा 0.16 को राज0 प्राथमिक विधालय बाघई के लिये क्रीडा स्थल हेतु आरक्षित किया जावे। जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में प्रश्नगत भूमि भू–धारक राज सरकार/मकबूजा सरकार के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में रिकार्ड एवं मौके के अनुरूप आवंटन प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक हितार्थ आवंटित किये गये। अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.9.2002 में कोई विधिक त्रुटी नहीं रहती है। चूंकि अपीलाधीन आदेश गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है इसलिए उक्त आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2002 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन आवंटन संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील व दौराने बहस यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि जो कि रैस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में खेल मैदान हेतु आवंटित की गई है, पर अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। जिसका साबिक खसरा नम्बर 327 था। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने के कारण राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। तथा अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किये जाने की सिफारिश भी की गई है। परन्तु अपीलान्ट की ओर से न तो मीमो आफ अपील के साथ और न ही बहस के दौरान इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज अदालत हाजा में पेश किया जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का वर्षों से कब्जाकाश्त रहा है तथा उक्त भूमि का नियमन अपीलान्ट के हक में किये जाने अभिशंषा की गई हो। दूसरी ओर अपीलाधीन आवंटन संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा तहसीलदार भरतपुर की ओर से रैस्पों0 संख्या–1 के पक्ष में विवादित भूमि को खेल मैदान हेतु आवंटित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये आवंटन प्रस्ताव का विधिवत परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 09.09.2002 को पारित किया है। तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायत जाटौली की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर से दिनांक 22.06.2002 की बैठक में पारित प्रस्ताव, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी खसरा गिरदावरी आदि की प्रतियां सलग्न की गई है। उक्त दस्तावेजात में विवादित भूमि जो कि विद्यालय के खेल मैदान हेतु आवंटित की गई है, मौके पर खाली है तथा विवादित भूमि की किस्म चाही दोयम है। जिसका कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन किया जा सकता है। इस आधार पर अपीलाधीन आवंटन आदेश में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 09.09.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.6.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर